राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 13(632)पंराचि/विधि/एस.बी.रिट./जय.उच्च/2017/ 4586 जयपुर,दिनांक:- 06/12/17

--::--परिपत्र--::--

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों की पालना किये जाने अथवा अपील/नो--अपील का निर्णय करवाये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय को भिजवाये जाते है। इस कारण अन्तरिम आदेशों की समय सीमा में पालना नहीं हो पाती है, जो अवमानना की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। यह भी अनुभव किया जा रहा है कि कतिपय प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा समय सीमा में याची का अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश दिये जाते हैं। याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा मुख्यालय भिजवाया जाकर मार्गदर्शन चाहा जाता है। इस प्रकिया में भी न्यायालय द्वारा नियत समय सीमा निकल जाती है, जिससे अवमानना याचिकाऐं संस्थित होती है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि :-

1. माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों में अपील/नो--अपील का निर्णय शासन स्तर पर नहीं किया जाता है। यथासम्भव अन्तरिम आदेशों की पालना नियत समयावधि में की जानी चाहिये। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तरिम आदेश विभागीय अधिनियम/नियम/परिपत्र/आदेश एवं निर्देशों के विपरीत है तो शीघ्र अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे एवं यदि ऐसे आदेश एक पक्षीय अन्तरिम आदेश है तो अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(3)के अन्तर्गत प्रार्थना--पत्र प्रस्तुत करवाया जावें। इस प्रकार के प्रकरणों में मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर भिजवाये जाने में अनावश्यक समय जाया नहीं किया जावें।
2. जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जाते है। उन मामलों में विभागीय अधिनियम/नियम/परिपत्र/आदेश /निर्देश के अनुसार अभ्यावेदन का निस्तारण नियत समय सीमा में किया जावे।
3. यदि किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो सुस्पष्ट प्रश्न सम्बन्धित बिन्दु को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सुसंगत दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ ही मुख्यालय भिजवाये जावें।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

1. अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशा02)/संयुक्त शासन सचिव (प्र01)वित्तीय सलाहकार /संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (जांच) /उपायुक्त (प्रशिक्षण)/अधिक्षण अभियंता(प्रो) मुख्यालय।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त,राजस्थान
3. विकास अधिकारी समस्त पंचायत समिति,राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।

6/12/2017
शासन उप सचिव(विधि)

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

:: परिपत्र ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने एस.बी.सिविल अवमानना पिटिशन संख्या 387/2018 लखीराम बनाम श्री नवीन महाजन व अन्य में दिनांक 23.03.2018 को आदेश जारी करते हुए यह निर्देशित किया है कि "However it will be in place to record that if the officers of the State Government in future stall the orders of the court, interim or otherwise, without a contrary order of a superior court, and overlook the State Government's own circular dated 6-12-2017, they shall be proceeded against more vigorously to uphold the integrity of the judicial process and the rule of law. Appropriate orders will be passed against such officers, requiring a remark as to their disregard for the law and constitution to be recorded in their ACRs.

माननीय न्यायालय के द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 23.03.2018 एवं उसमें सन्दर्भित पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2017 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ व समुचित कारवाई हेतु प्रेषित है।

(निहाल चन्द गोयल)
मुख्य सचिव

समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अ.शा.टीप सं. : एफ13( )पंरावि/विधि/अवमानना/जय.उच्च/18/540
जयपुर, दिनांक 26.04.2018

राजस्थान सरकार
निदेशालय, सामेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक–एफ.15(6)(13)/विधि/आईसीडीएस/2013/5603-44 जयपुर, दिनांक 1-5-18

1. प्रभारी अधिकारी वाद, व उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ..... को भेजकर लेख है कि माननीय मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.2018 एवं उसके साथ सन्दर्भित पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 06.12.2017 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं समुचित कारवाई हेतु प्रेषित है।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति निदेशक
सामेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर